24/2019
पकिया बनाम सरकार

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.07.2021	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की निगरानी आर.टी.एक्ट. संख्या 8335/2007 नंदलाल बनाम पकिया में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017 के द्वारा निगरानी संधारणीय नहीं होने से खारिज की जाकर प्रकरण संख्या 03/2004 पकिया बनाम सरकार में पारित ओदश दिनांक 07.08.2007 को यथावत रखा गया है। इस कारण प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किये जाने हेतु, अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट पकिया पुत्र जोगाजी भील के नाम उनके गांव सोमेसर तहसील रानी एवं मुम्बई (महाराष्ट्र) के पतो पर जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के नोटिस जारी किये गये, लेकिन दोनों ही स्थानों पर से नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए है, साथ अपीलाण्ट के पूर्व अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित को भी नोटिस जारी किया, जिस पर उनके द्वारा टिप्पणी की गई कि पक्षकार उनके सम्पर्क में नहीं है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम जारी नोटिस पर उनका देहान्त होने बाबत रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है। चुंकि अपीलाण्ट स्वयं का नोटिस तामील नहीं हुआ है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का देहान्त हो जाने से उनके विधिक वारिसानों की सूची न्यायालय में समय–सीमा में पेश नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट सकूनत के अभाव में Abate हो जाती है। साथ ही ग्राम सोमेसर (भादरलाउ) के खसरा नम्बर 103 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा भूमि नंदिया पुत्र देवा मेणा के खातेदार दर्ज थी, जो जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.03.1980 द्वारा अपीलाण्ट पकिया पुत्र जोगा भील को बेचान की गई, उक्त विक्रेय विलेख दिनांक 22.03.1980 को माननीय सिविल न्यायाधीश, देसूरी द्वारा दिनांक 13.10.2017 को प्रभावहीन, निरस्त एवं शून्य घोषित किया गया है, साथ ही सहायक कलेक्टर रानी के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 30/2017 नंदलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए, वादीगण की खातेदारी घोषित की गई है। चुंकि सिविल न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट पकीया को बेचाण किये गये विक्रय विलेख को निर्णय दिनांक 13.10.2017 को प्रभावहीन, निरस्त एवं शून्य घोषित किया जा चुका है। अतः उक्त बेचाण के आधार पर की गई अग्रिम कार्यवाही अपने आप ही शून्य हो गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो। अति. जिला कलक्टर, पाली	